प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स ...406/22... दिनांक ...14/10/2022...

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ...235... समय ...7:40 P.M....
(2) अपराध के घटने का दिन शनिवार दिनांक 23-07-2022 समय करीब 04.15 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 21-07-2022 समय 5.30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल : –
(1) थाने से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 415 किलोमीटर
(2) पता – 16, नई अंहिसापुरी, फतहपुरा, उदयपुर (राज)।
.... बीट संख्या ....जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : श्री कमल सिंह
(2) पिता का नाम : श्री मोहन सिंह
(3) आयु : वयस्क
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसायः साईट इंचार्ज, फर्म मैसर्स मेट्रो कन्ट्रक्शन कम्पनी जहाजपुर गांव गाडोली भीलवाड़ा।
(7) पता : निवासी केशोरायपाटन जिला बूंदी (राज.)।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
श्री जितेन्द्र चोरडिया (जे.के. चोरडिया) पुत्र श्री राजकुमार चोरडिया (आर.के. चोरडिया) जन्म तिथि 28-11-1966 हाल निवासी 16, नई अंहिसापुरी, फतहपुरा, उदयपुर निवासी 117, सुभाष मार्ग, जडियो की ओल, उदयपुर हाल सहायक अभियंता, कार्यालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, गोगुन्दा जिला उदयपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
आरोपी के द्वारा परिवादी की फर्म मैसर्स मेट्रो कन्ट्रक्शन कम्पनी जहाजपुर गांव गाडोली भीलवाड़ा के द्वारा किये गये जल ग्रहण भू-संरक्षण में एनिकट, डी.एस.एम.पी. एवं फिल्ड बडिंग कार्य के अन्तिम भुगतान बिल राशि 7,45,000 रूपये पास (भुगतान) करने की एवज में 15 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से लगभग 1,12,000 रूपये रिश्वत की मांग करते हुए दिनांक 23-7-2022 को आरोपी के द्वारा मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 50,000 रूपये रिश्वत स्वरूप ग्रहण करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 50,000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
उदयपुर

विषयः– कानूनी कार्यवाही कराने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि में कमलसिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी केशोराय पाटन, जिला बून्दी राज. मैसर्स मेट्रो कन्ट्रक्शन कम्पनी जहाजपुर गांव गाडोली भीलवाडा में साईट इन्चार्ज के रूप में कार्य कर रहा हूं। हमारी फर्म का कार्य जल गृहण भू–संरक्षण में एनिकट व डी.एस.एम.पी. एवं फिल्ड बडिंग कार्य है, वर्ष 2019 में हमारी फर्म को जल गृहण एवं भू संरक्षण विभाग उदयपुर से टेण्डर स्वीकृत हुआ था टेण्डर के अनुसार हमारी फर्म में दिये गये कार्य को पूर्ण कर दिया हैं। हमारा कार्य ज्यादतर गोंगुन्दा क्षेत्र में था। करीब दस दिन पहले हमारा फाईनल बिल पास हुआ जिसकी राशि 7,45,000/– रूपयें पास हुए बिल के भुगतान के बाद हमने जमा राशि सिक्योरिटी डिपोजिट 10 प्रतिशत एस.डी. जिसकी कुल राशि करीब 6,50,000 रूपये है व डिफेन्स राशि 2.00 लाख रूपये है इस राशि के भुगतान के लिये हमने सहायक अभियन्ता जल गृहण विभाग को निवेदन किया तो श्री चोरडिया जी सहायक अभियन्ता ने फाईनल बिल भुगतान का 15 प्रतिशत कमीशन का देने के बाद ही सिक्योरिटी व डिफेन्स राशि देने का कह रहे हैं। इस बारे में मेने अपनी फर्म को अवगत कराया तो वहां से बताया कि आप अपने स्तर पर कानूनी कार्यवाही करें। मुझे इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। मैं व मेरी फर्म वेध कार्य के बदले रिश्वत नहीं देना चाहते है, कृपया कानूनी कार्यवाही करे मैं अपना नाम इस कार्य हेतु गोपनीय रखना चाहता हूं।

प्रार्थी
–एसडी–
कमल सिंह
6375981702

महोदय,

निवेदन है कि फर्म मैसर्स मेट्रो कन्ट्रक्शन कम्पनी जहाजपुर गांव गाडोली भीलवाडा के अधिकृत कर्मचारी (साईट इंचार्ज) श्री कमल सिंह ने दिनांक 21–7–2022 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित होकर श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर के समक्ष उक्त लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिवादी की लिखित रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाये जाने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजेन्द्र कुमार मीना, पुलिस उप अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। जिस पर श्री राजेन्द्र कुमार मीना, पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के बारे में पूछताछ कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के बारे में समझाया गया। कार्यालय की डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन के बारे में बताया।

तत्पश्चात दिनांक 22–7–2022 को आरोपी अपने फतहपुरा स्थित निवास स्थान पर होने से परिवादी को भेजकर रिश्वती राशि के मांग का सत्यापन कराया गया तो मांग सत्यापन के दौरान आरोपी ने परिवादी से उसकी फर्म मैंसर्स मेट्रो कन्ट्रक्शन कम्पनी जहाजपुर गांव गाडोली भीलवाडा के द्वारा जलग्रहण एवं भू–संरक्षण हेतु किये गये एनिकट, डी.एस.एम.पी. एवं फिल्ड बडिंग कार्य के अन्तिम बिल राशि 7,45,000 रूपये के भुगतान करने की एवज में 15 प्रतिशत के हिसाब से लगभग 1,12,000 रूपये रिश्वत की मांग की। उक्त वार्ता में रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि हुई किन्तु वार्ता में वाहनों के चलने की आवाजें होने से वार्ता पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुई। ब्यूरो इकाई पर अन्य गोपनीय कार्य में उपस्थित गवाहान श्री विशाल माथूर वरिष्ठ सहायक एवं श्री जितिन चौहान वरिष्ठ सहायक, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग उदयपुर को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनो गवाहान द्वारा अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। उक्त दोनो गवाहान का परिवादी से आपस में परिचय

कराया जाकर परिवादी के द्वारा पूर्व में दिनांक 21–7–22 को दी गयी हस्तलिखित रिपोर्ट को परिवादी के समक्ष ही दोनो गवाहान को पढकर सुनाई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखी होना एवं स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की। तत्पश्चात उक्त रिपोर्ट पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक 22–7–2022 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना जाकर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मूल, डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसकिप्टों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सिलचिट किया गया। तत्पश्चात पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को अन्य गोपनीय कार्यवाही के लिये रूखसत किया गया। परिवादी को भी गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 23–7–2022 को परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने पर परिवादी के मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन कर आरोपी के मोबाइल फोन पर वार्ता करायी गयी तो वार्ता के दौरान आरोपी ने परिवादी को अपने घर पर ही बुलाते हुए वहीं बैठकर बात करने को कहा। उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ता की परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मूल, डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसकिप्टों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सिलचिट किया गया। तत्पश्चात परिवादी को आरोपी के बुलाये अनुसार उसके निवास 16, नई अंहिसापुरी, फतहपुरा,.उदयपुर पर भेजकर रिश्वती राशि के मांग का सत्यापन कराया गया तो मांग सत्यापन के दौरान आरोपी ने परिवादी की फर्म के द्वारा जलग्रहण एवं भू–संरक्षण हेतु किये गये एनिकट, डी.एस.एम.पी. एवं फिल्ड बडिंग संबंधी कार्य के अंतिम भुगतान बिल राशि 7,45,000 रूपये पास करने की एवज में 15 परसेंट कमीशन के हिसाब से करीब 1,12,000 रूपये की मांग करते हुए वार्ता के दौरान ही आरोपी ने परिवादी से 50,000 रूपये अपने हाथों से ग्रहण किये। उक्त आमने सामने हुई वार्ता को परिवादी ने ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ता की परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मूल, डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसकिप्टों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सिलचिट किया गया। तत्पश्चात आरोपी की मांग अनुसार उसको रिश्वती में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर लाने हेतु कहकर रूखसत किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 27–7–2022 को श्री राजेन्द्र कुमार मीना पुलिस उप अधीक्षक का अवकाश स्वीकृत हो जाने से उच्चाधिकारी के आदेश पर उक्त ट्रेप कार्यवाही हरिश्चंद्र सिंह, पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया। जिस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी श्री कमल सिंह के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21–7–22 मय संबंधित फर्द ट्रांसकिप्टें, सिलचिटशुदा मूल सीडीयां एवं डब सीडीयां प्राप्त की गयी। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा समय–समय पर अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी से संपर्क किया गया तो परिवादी अपने पारिवारिक कारणों के चलते ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 3–8–2022 को परिवादी ने उपस्थित कार्यालय होकर फर्म के सायरा में चल रहे अन्य कार्यों में व्यस्त होने एवं उक्त ट्रेप कार्यवाही कुछ समय पश्चात कराने हेतु एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात आरोपी के द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी से संपर्क करने पर परिवादी दिनांक 17–8–22 को आरोपी सहायक अभियंता के द्वारा की गयी रिश्वत की मांग के कम में 45,000 रूपये की ही व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित हुआ। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा तेहरीर जारी कर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर से दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गयी। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री राजेश बाबेल, रसायनज्ञ एवं श्री मोहनलाल बैरवा, वरिष्ठ सहायक निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर उपस्थित कार्यालय होकर निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर से तेहरीर पेश की। उक्त तेहरीर

में श्री राजेश बाबेल, रसायनज्ञ एवं श्री मोहनलाल बैरवा, वरिष्ठ सहायक को बतौर गवाहान अंकित किया गया। उक्त तेहरीर को शामिल पत्रावली की गयी। जिनका परिचय परिवादी श्री कमलसिंह से आपस में कराया। तत्पश्चात दोनो गवाहान से उक्त गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गयी तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके उपरांत परिवादी द्वारा पूर्व में पेश की गयी लिखित रिपोर्ट को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादी द्वारा शब्द ब शब्द सही होना बताया। जिस पर उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दोनो गवाहान के समक्ष ही समय करीब 4.10 पीएम पर परिवादी ने अपने मोबाइल नंबर 6375981702 से आरोपी के मोबाइल नंबर 8233831133 पर वार्ता की तो आरोपी ने वार्ता में घंटे डेढ घंटे बाद अपने स्वयं के घर पहुंचकर फोन करने के बारे में बताया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ता की परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मूल, डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्टों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सिलचिट किया गया। तत्पश्चात परिवादी के मोबाइल पर आरोपी ने उसके मोबाइल से मिस कॉल किया। जिस पर समय करीब 6.10 पीएम पर परिवादी ने अपने मोबाइल नंबर 6375981702 से आरोपी के मोबाइल नंबर 8233831133 पर कॉल किया तो आरोपी ने पारिवारिक कार्यों का हवाला देते हुए कल (दिनांक 18-8-2022) मिलने को कहा तथा आरोपी ने कॉल कर देने का कहा। जिस पर परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर दिनांक 18-8-2022 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी दिनांक 18-8-2022 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 18-08-2022 को समय 10.30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री राजेश बाबेल एवं श्री मोहनलाल बैरवा उपस्थित कार्यालय हुए। निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर के द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री मोहनलाल बैरवा कनिष्ठ सहायक के स्थान पर श्री अमरदीप नागदा कनिष्ठ सहायक को नियुक्त कर देने से श्री अमरदीप नागदा उपस्थित कार्यालय हुआ एवं इससे संबंधित पत्र भी मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्री अमरदीप नागदा को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। श्री मोहनलाल बैरवा को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात परिवादी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने पर स्वतंत्र गवाह श्री राजेश बाबेल के समक्ष ही परिवादी का परिचय श्री अमरदीप नागदा, कनिष्ठ सहायक से आपस में कराया गया। तत्पश्चात श्री अमरदीप नागदा, कनिष्ठ सहायक से उक्त गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गयी तो श्री अमरदीप नागदा ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके उपरांत परिवादी द्वारा पूर्व में पेश की गयी लिखित रिपोर्ट को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादी द्वारा शब्द ब शब्द सही होना बताया। जिस पर उक्त रिपोर्ट पर गवाह श्री अमरदीप नागदा के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी सहायक अभियंता ने परिवादी से संपर्क नहीं करने से परिवादी ने अपने स्तर पर मालूम कर बताया था कि आरोपी के घर पर मेहमान आये हुए है। साथ ही परिवादी ने यह भी बताया कि आरोपी चोरडिया से आगे चलकर संपर्क करेंगे या उसको फोन करेंगे तो उसको शंका हो सकती है। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गयी कि आरोपी के द्वारा संपर्क करने पर इसकी सूचना तत्काल ब्यूरो को देवें। परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 29-08-2022 को परिवादी ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित हुआ। जिसे आरोपी के मोबाइल फोन के इंतजार में कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात पूर्व में पाबंदशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री राजेश बाबेल एवं श्री अमरदीप नागदा को तलब किये जाने पर श्री राजेश बाबेल उपस्थित कार्यालय हुए। जिनके समक्ष ही कार्यालय कक्ष में पूर्व से बैठे परिवादी के मोबाइल फोन से आरोपी के मोबाइल फोन पर वार्ता करायी गयी। उक्त वार्ता के दौरान आरोपी ने परिवादी से कहा कि अभी मैं पर्यूषण पर्व होने से अवकाश में चल रहा हूँ। परिवादी ने राशि के बारे में

कहा तो आरोपी ने मना किया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात पूर्व में पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री अमरदीप नागदा उपस्थित कार्यालय हुआ। कार्यालय कक्ष में पूर्व से श्री राजेश बाबेल एवं परिवादी श्री कमलसिंह बैठे हुए है। श्री अमरदीप नागदा को कुछ देर पहले की गयी मोबाइल वार्ता के हालात से भी अवगत कराया गया। टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को भी परिवादी के समक्ष ही दोनो गवाहान को चलाकर सुनायी गयी। तत्पश्चात डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ता की परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही मूल, डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवायी गयी। मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसकिप्टों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल सीडी को सिलचिट किया गया। तत्पश्चात परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही उक्त कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन एवं मोबाइल वार्तायें रिकॉर्ड है, उक्त मेमोरी कार्ड को जरिये फर्द पृथक से जप्त कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट किया गया। परिवादी ने भी दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही बताया कि चोरडिया जी अब संभवतः राशि नहीं लेंगे। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने की भी फिलहाल संभावना नहीं है। जिस पर परिवादी श्री कमलसिंह को हिदायत दी गयी कि जब कभी भी आरोपी संपर्क करे अथवा रिश्वत की मांग करे तो तुरन्त इसकी सूचना ब्यूरो को देवें। परिवादी को गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दौराने कार्यवाही परिवादी ने आरोपी का नाम आर.के. चोरडिया होना बताया था, जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की गई। मामला गोपनीय होने एवं आरोपी को उक्त कार्यवाही की भनक लगने की सूरत में आरोपी का नाम ब्यूरो द्वारा पता नहीं किया गया। तत्पश्चात आरोपी के नाम के बारे में ब्यूरो द्वारा मालूमात की गई एवं सेवा विवरण रिकॉर्ड प्राप्त किया गया तो आरोपी का वास्तविक नाम जितेन्द्र चोरडिया पुत्र श्री आर.के. चोरडिया नाम होना ज्ञात हुआ। तत्पश्चात परिवादी ने भी आरोपी का नाम श्री जितेन्द्र चोरडिया होना स्वीकार किया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी के द्वारा परिवादी की फर्म मैसर्स मेट्रो कन्ट्रक्शन कम्पनी जहाजपुर गांव गाडोली भीलवाडा के द्वारा जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण हेतु किये गये एनिकट, डी.एस.एम.पी. एवं फिल्ड बडिंग कार्य के अन्तिम भुगतान बिल राशि 7,45,000 रूपये पास (भुगतान) करने की एवज में 15 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से लगभग 1,12,000 रूपये रिश्वत की मांग करते हुए दिनांक 23-7-2022 को आरोपी के द्वारा परिवादी से 50,000 रूपये रिश्वत स्वरूप ग्रहण किये। परिवादी से पूर्व में जारी मांग अनुसार शेष रिश्वत राशि 62,000 रूपये के संबंध में आरोपी के द्वारा विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतते हुए ऊहापोह (असामंजस्य की स्थिति में हो) बाद में रिश्वत लेने से मना किया।

इस प्रकार आरोपी श्री जितेन्द्र चोरडिया (जे. के. चोरडिया), सहायक अभियंता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, गोगुन्दा जिला उदयपुर के द्वारा एक लोक सेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री कमल सिंह से दिनांक 23-7-2022 को दौराने सत्यापन 15 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 1,12,000 रूपये रिश्वती राशि की मांग करते हुए 50,000 रूपये रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण करना प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 के तहत प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री जितेन्द्र चोरडिया (जे.के. चोरडिया) पुत्र श्री राजकुमार चोरडिया (आर.के. चोरडिया), जन्म तिथि 28-11-1966 निवासी 16, नई अंहिसापुरी, फतहपुरा, उदयपुर मूल निवासी 117, सुभाष मार्ग, जडियो की ओल, उदयपुर हाल सहायक अभियंता, कार्यालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, गोगुन्दा जिला उदयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पी. सी. (संशोधित) एक्ट 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

(हरिश्चंद्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिश्चंद्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जितेन्द्र चोरडिया(जे.के. चोरडिया) पुत्र श्री राजकुमार चोरडिया(आर.के. चोरडिया), सहायक अभियंता, कार्यालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, गोगुन्दा जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 406/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 3534-38 दिनांक 14.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

14.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।